क्रम संख्या–109 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 21 नवम्बर, 2025 ई0
कार्तिक 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
न्याय विभाग

संख्याः– 367/XXXVi(3)/2025–16/2001
देहरादून, दिनांक 21 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

प0 आ0–74

एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा–4 तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् सत्यापन नियम 2015 के नियम 32 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड बार काउन्सिल के प्रभावी कामकाज एवं प्रशासकीय कार्य हेतु मा0 चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2025 के अनुपालन में उत्तराखण्ड बार काउन्सिल के चेयरमैन, वाईस–चेयरमैन व विभिन्न समितियों का कार्यकाल आगामी आदेश तक बढ़ाये जाते हैं।

प्रशान्त जोशी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50/न्याय/489–2025–100+50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।